पथ विक्रेताओं को डिजीटल लेनदेन करने पर मिलेगा कैश बैक

पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त पथ विक्रेताओं को डिजीटल माध्यम से जोड़ने का हो रहा प्रयास

संदेश वाहक न्यूज

शाहजहांपुर। परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) अतुल पाठक ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त पथ विक्रेताओं को डिजीटल माध्यम से ग्राहकों से पैसों का लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा डिजीटल लेनदेन का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त/ परियोजना निदेशक जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने एक अभियान के रूप में पथ विक्रेताओं यथा-फास्ट फूड स्टॉल, चॉट का स्टॉल, चाय का स्टॉल, फल विक्रेता स्टॉल आदि पथ विक्रेताओं के पास जाकर उनकों पैसों का लेनदेन डिजीटल माध्यम से करने पर कैश बैक प्राप्त होने के लाभ के संबंध में पथ

पथ विक्रेताओं को डिजीटल लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहित करते नगर आयुक्त।

विक्रेताओं को अवगत कराया गया।

साथ ही पथ विक्रेताओं से लेकर खाये गये फास्ट फूड व चाट तथा की गयी खरीदारी का डिजीटल माध्यम से भुगतान किया गया। पथ विक्रेताओं को अवगत कराया गया कि एक माह में किसी भी मूल्य के 50 लेनदेन डिजीटल माध्यम से करने पर प्रति लेनदेन रू.-1.00, अगले 50 डिजीटल लेनदेन करने पर प्रति लेनदेन 50 पैसे तथा इसके बाद 100 डिजीटल लेनदेन करने पर प्रति लेनदेन 25 पैसे का कैश बैक इस प्रकार एक माह में 200 डिजीटल लेनदेन करने पर रू.-100.00 कैश बैक के रूप में पथ विक्रेता को प्राप्त होंगे। इस प्रकार डिजीटल माध्यम से पैसों का लेनदेन करने वाले पथ विक्रेताओं को स्वनिधि ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि की अदायगी में ब्याज की धनराशि के लगभग बरावर धनराशि कैश बैक के रूप में प्राप्त हो जायेगी। पथ विक्रेताओं को डिजीटल माध्यम से पैसे का लेनदेन करने हेतु प्रोत्साहित व प्रचार प्रसार करने हेतु शासन द्वारा 30 अप्रैल 2022 तक 45 दिन का एक विशेष अभियान प्रदेश के समस्त नगर निगम व नगर पालिका परिषद में चलाया जायेगा। इस अभियान के अन्तर्गत गांधी भवन, टाउन हॉल, शाहजहांपुर में स्वनिधि से समृद्धि के अन्तर्गत विशेष कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प का शुभारम्भ नगर आयुक्त, नगर निगम शाहजहाँपुर द्वारा किया गया। कैम्प के माध्यम से। प्रथम किश्त हेतु 24 आवेदन द्वितीय किश्त के 06 आवेदन, 14 ऋण स्वीकृत एवं 22 ऋण का वितरण पथ विक्रेताओं को किया गया।

कैम्प में परियोजना अधिकारी, डूडा, जिला अग्रणी प्रबन्धक, शाहजहांपुर एवं मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक, टाउन हॉल द्वारा प्रतिभाग किया गया। डिजीटली इनैक्टिव पथ विक्रेताओं को पैसों का लेनदेन डिजीटन माध्यम से करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा तथा स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त पथ विक्रेता जिनको अभी तक क्यूआर कोड प्रदान नहीं किया गया है उनको संबंधित बैंकों के माध्यम से क्यूआर कोड उपलब्ध कराये जायेंगे। इस अवसर पर डीएम द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गयी कि पथ विक्रेताओं को फल, सब्जी, चॉट, फास्ट फूड आदि का भुगतान डिजीटल माध्यम से करें ताकि शासन की मंशानुरूप डिजीटल लेन देन को प्रेत्साहित किया जा सके तथा अत्यन्त छोटा व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले पथ विक्रेता साथियों के व्यवसाय में वृद्धि होकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ हो सके।